UPBS010057262022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०प्रथम बस्ती।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2588/2022
संजय उपाध्याय बनाम सरकार उ०प्र०
मुकदमा अपराध संख्या–423/2022
धारा–8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट
थाना लालगंज, जिला बस्ती।

दिनांक : 12.01.2023

आवेदक/अभियुक्त संजय उपाध्याय पुत्र स्व० सीताराम उपाध्याय की ओर से अपराध संख्या–423/2022, धारा–8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट, थाना लालगंज, जिला बस्ती के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दौरान देखभाल क्षेत्र शक के आधार पर थाना लालगंज, जिला बस्ती की पुलिस द्वारा दिनांक 03–12–2022 को समय 18.30 बजे वहद स्थान खोरिया, खड़ंजा मार्ग पर बने पुलिया के पास बाग से आपको पकड़ा गया और नियमानुसार आपकी जामा तलाशी लिए जाने पर आपके कब्जे से प्रतिबंधित 105 नशीली गोली अल्प्राजोलमा, बजन 10.5 ग्राम बरामद हुयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया है कि प्रार्थी बेगुनाह है महज रंजिश मुकदमें में फर्जी रूप से फंसा दिया गया है। प्रार्थी के सगे भाई देवीलाल उपाधय है तथा प्रार्थी के ही गांव के शिवमूरत ढाढ़ी है जिनसे प्रार्थी की रंजिश चल रही है। प्रार्थी का शादी विवाह नहीं हुआ था। प्रार्थी आसन सोल कलकत्ता में एक छण की फैक्ट्री में बतौर इन्चार्ज काम करता था तथा सारा रूपया कमा कर अपने भाई व उनकी पत्नी को बराबर देता था। प्रार्थी को मुकामी पुलिस को अपने साजिस करके फर्जी रूप से घर से पुलिस बुलकर गिरफ्तार करा दिये। प्रार्थी के पास से तथाकथित नसीली दवा अल्प्राजोलाम टैबलेट नहीं बरामद हुआ है। प्रार्थी के भा्इ व शिवमूरत प्रार्थी को थाने में बंद करा कर फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेजवा दिये। मुकामी पुलिस द्वारा एन०डी०पी०एस एक्ट के प्राविधानों का उलंघन करके प्रार्थी की गिरफ्तारी किया गया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की कोई जमानत माननीय उच्च न्यायालय अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी जमानत का कभी दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः

उसे उचित जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की है।

अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के पास से अवैध 105 नशीली टैबलेट अल्प्राजोलाम, कुल बजन 10.5 ग्राम बरामद हुयी है, अभियुक्त के पास से बरामद उक्त मादक पद्वार्थ धारा 8/21 एन.डी.पी. एस.एक्ट के तहत गम्भीर अपराध है।

सुना तथा थाने की आख्या एवं प्रपत्रो का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक–03–12–2022 से जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध नशीली 105 टैबलेट अल्प्राजोलाम 10.5 ग्राम की मात्रा वाणिज्यक मात्रा से कम है। उपरोक्त तथ्य एवं परीस्थियों के प्रकाश में अभियुक्त की जमानत सशर्त स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त संजय उपाध्याय पुत्र स्व० सीताराम उपाध्याय द्वारा 40,000/–(चालीस हजार) रूपए व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो स्थानीय व विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर जमानतदारों के सत्यापन क पश्चात उसे इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि दौरान जमानत वह न्यायालय की प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा विचारण कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग प्रदान करेगा। अन्यथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक 12.01.2023

(अनिल कुमार खरवार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय प्रथम, बस्ती।